Case No.- 54/2021 धीसाराम / दुर्गाराम

रेख	प्रकरण संख्या 54/2021 जीसीएमएस नम्बर 2021/170 अबनवान धीसाराम बनाम दुर्गाराम व अन्य हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.07.2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 3 उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते अप्रार्थी संख्या 2 खेतसिंह का नाम हटाकर निरमा देवी के नाम नोटिस जारी करवाये जाने पर बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 42/2017 बअनवान धीसाराम बनाम दुर्गाराम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 25.10.2018 के द्वारा निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत गुडाकला द्वारा मिसल संख्या 02/1995–1996 संकल्प संख्या 06 दिनांक 16.05.1996 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 01 दिनांक 18.05.1996 को प्रार्थी के मकान के आगे पट्टासुदा चबूतरी की हद तक अपास्त किया गया एवं ग्राम पंचायत गुडाकलां को उक्त आदेश की अनुपालना में नियमों में विहित प्रक्रिया अनुसार संशोधित पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी करने आदेश पारित किये गये। प्रार्थी ने दिनांक 04.01.2019 अप्रार्थी संख्या 2 सरपंच ग्राम पंचायत गुडाकलां के समक्ष प्रार्थना पत्र मय निर्णय की प्रति प्रस्तुत कर संशोधित पट्टा जारी करने एवं चबुतरी हटाने का निवेदन किया जिस पर अप्रार्थी संख्या 2 ने कोई कार्यवाही नहीं की। अप्रार्थीगण लगातार आदेश दिनांक 25.10.2018 की पालना न कर उसकी अवमानना कर रहे है। ग्राम पंचायत गुडाकलां में वर्तमान में सरपंच खेतसिंह न होकर निरमादेवी है। अतः निर्णय दिनांक 25.10.2018 की पालना में चबुतरी को हटाने हेतु अप्रार्थी संख्या 2 को नोटिस तामिल करवाना आवश्यक है। इसलिये सरपंच निरमादेवी के नाम नोटिस जारी करने का प्रार्थना पत्र स्वीकृत फरमावे। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 3 ने वक्त बहस कथन किया कि निर्णय दिनांक 25.10.2018 में इस न्यायालय द्वारा केवल पट्टे के सम्बन्ध में निर्णय पारित किया गया है, चबुतरी हटाने हेतु कोई आदेश उक्त निर्णय में नही दिये गये है। इस न्यायालय द्वारा बेदखल करने अथवा अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय पारित नहीं किया जाता है। अतिक्रमण हटाने हेतु प्रार्थी को सिविल न्यायालय में नियमानुसार कार्यवाही करनी चाहिये। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रकरण आधारविहीन होने से परिपोषणीय ही नहीं है, इसलिये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते अप्रार्थी संख्या 2 खेतसिंह का नाम हटाकर निरमा देवी के नाम नोटिस जारी करवाये जाने को खारिज फरमावे। साथ ही जैर अवमानना प्रार्थना गलत तथ्यों के आाधार पर प्रस्तुत किये जाने से इसे भी खारिज फरमावे। अधिवक्ता उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस बार–बार यह	

अति. जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

कथन किया कि इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 42/2017 बअनवान घीसाराम बनाम दुर्गाराम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 25.10.2018 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा चबुतरी को नहीं हटाये जाने के कारण जैर अवमानना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रकरण संख्या 42/2017 में पारित निर्णय दिनांक 25.10.2018 की प्रति का अवलोकन करने पर पाया कि इस न्यायालय द्वारा निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत गुडाकला द्वारा मिसल संख्या 02/1995–1996 संकल्प संख्या 06 दिनांक 16.05.1996 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 01 दिनांक 18.05.1996 को प्रार्थी के मकान के आगे पट्टासुदा चबुतरी की हद तक अपास्त किया गया एवं ग्राम पंचायत गुडाकलां को उक्त आदेश की अनुपालना में नियमों में विहित प्रक्रिया अनुसार संशोधित पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी करने आदेश पारित किये गये। उक्त निर्णय में कही पर भी ग्राम पंचायत को चबुतरी हटाने हेतु निर्देशित नहीं किया गया है परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी का मुख्य कथन तथा जैर अवमानना प्रार्थना पत्र का मुख्य आधार ही चबुतरी हटाने के सम्बन्ध में है। जिससे यह सुस्पष्ट है कि अधिवक्ता प्रार्थी ने निर्णय दिनांक 25.10.2018 से परे गलत तथ्यों के आधार पर जैर अवमानना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। यदि अधिवक्ता प्रार्थी को चबुतरी हटाने के सम्बन्ध में कोई अनुतोष प्राप्त करना है तो उन्हे सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये।

इस न्यायालय द्वारा निगरानी के सम्बन्ध में केवल पंचायती राज संस्थान या उसकी किसी स्थायी समिति या उप–समिति का अभिलेख, उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में निर्णय पारित किया जाता है। जब अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा जैर अवमानना प्रार्थना पत्र ही गलत आधारों पर प्रस्तुत किया गया है तो उसे अब आगे चलाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है और न ही ऐसी स्थिति में अब अप्रार्थी संख्या 2 खेतसिंह का नाम हटाकर निरमादेवी को नोटिस तामिल करवाये जाने का कोई तार्किक अर्थ शेष रह जाता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते अप्रार्थी संख्या 2 खेतसिंह का नाम हटाकर निरमा देवी के नाम नोटिस जारी करवाये जाने का अस्वीकार किया जाता है साथ ही अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जैर अवमानना प्रार्थना पत्र निराधार एवं सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

अति. जिला कलक्टर, पाली

अति. जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner